न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 131/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री शंकरलाल सैनी (आर.ए.एस.)

1. श्री रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
2. श्योजीराम पुत्र अमरा जाति जाट
3. श्री शिवराज पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी गोपालपुरा मोहल्ला अजमेर रोड केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हरजी जाति जाट
2. बन्ना पुत्र हरजी जाति जाट
3. श्योजी पुत्र हरजी जाति जाट
   त्माम जाति जाट निवासीगण तहसील केकडी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–22-10-18

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–73 के खाता स. 1727 के खसरा नम्बर 5000 रकबा 1.24 है. किस्म बारानी जर्ये नामान्तरण स. 2439 दिनांक 17.7.2012 रतन पुत्र हरजी हि. 1/4 के बजाय क्रेता रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र श्योजीराम पुत्र अमरा शिवराज पुत्र जयकिशन कौम जाट के नाम अंकन स्वीकार हुआ । उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खरीदशुदा आराजीयात है। वादीगण एंव प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की संयुक्त स्वामित्व की आराजी है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 सयुंक्त रूप से काबिज काश्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 ने मौखिक बंटवारा कर वर्णित आराजी के अपने अपने हिस्से पर काबिज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में अलग–अलग तरमीम नहीं होने होने से वादीगण को काफी परेशानी करनी पडती है। वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण स. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण स. 2 का 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादीगण स. 3 का 1/4 हिस्सा है। मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा किया जाना का निवेदन किया है वाद स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण की और से श्री हेमन्त जैन ने पावर पेश किया।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की और से जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार वाद पत्र में वर्णित खसरान प्रतिवादीगण तीन सगे भाई है तथा प्रतिवादी के भाई रतन द्वारा बिना विधिक बंटवारे के वादीगण को बेचान कर दी गयी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अलग–अलग तरमीम की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई बाधा नही या आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण 1 व 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा वाके **ग्राम कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069—73 के खाता स. 1727 के खसरा नम्बर 5000 रकबा 1.24 है. किस्म बारानी में** *.भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिज जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।*

निर्णय आज दिनांक 22-10-18 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारीः– शंकरलाल सेनी *(आर.ए.एस)*
उनवान

1. श्री रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
2. श्योजीराम पुत्र अमरा जाति जाट
3. श्री शिवराज पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी गोपालपुरा मोहल्ला अजमेर रोड केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हरजी जाति जाट
2. बन्ना पुत्र हरजी जाति जाट
3. श्योजी पुत्र हरजी जाति जाट त्माम जाति जाट निवासीगण तहसील केकडी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः–131 / 2018
दिनांकः–

वादी की ओर से स्वंय की व प्रतिवादीगण की ओर से स्वंय की उपस्थिति में वाद में आज तारीख को 12:15 बजे (पीठासीन अधिकार) शंकरलाल सेनी (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– **राजस्व ग्राम केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर (राज.)**

अतः वादी का दावा वाके **ग्राम कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–73 के खाता स. 1727 के खसरा नम्बर 5000 रकबा 1.24 है. किस्म बारानी में** ***.भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार का बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिज जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें।***

आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3प्रदर्शो 'के लिये स्टाम्प 4.————रूपयों पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	[illegible] 00	[illegible] स्टाम्प [illegible] के लिये स्टाम्प प्लीडर [illegible] फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया 00
जोड		जोड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested